कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
Web: www.klsgaci.edu.in E.mail: principal@klsgaci.nic.in दूरभाष क्रं. 0755–2970310

क्र / क्रय / 2026 / दिनांक

पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल के 150 बिस्तरीय चिकित्सालय में भर्ती (अंतरंग) रोगियों की भोजन व्यवस्था म०प्र० शासन द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने हेतु किराये पर कैंटीन संचालन हेतु ई–निविदा प्रक्रिया अन्तर्गत खुली निविदायें आंमत्रित की जाती है।

ऑनलाइन द्वितीय ई–निविदा प्रस्ताव वर्ष 2026

ई– निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.07.2026

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
Web: www.klsgaci.edu.in E.mail: principal@klsgaci.nic.in दूरभाष क्रं. 0755–2970310

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
Web: www.klsgaci.edu.in E.mail: principal@klsgaci.nic.in दूरभाष क्रं. 0755–2970310

चिकित्सालय में भर्ती (अंतरग) रोगियों की भोजन व्यवस्था म०प्र० शासन द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने हेतु किराये पर कैंटीन संचालन की द्वितीय ई–निविदा वर्ष 2026

––00––

पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में भर्ती (अंतरग) रोगियों की भोजन व्यवस्था म०प्र० शासन द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने के लिऐ किराये पर कैंटीन संचालन हेतु ई–निविदा प्रकिया के अन्तर्गत खुली निविदायें आंमत्रित की जाती है, जो कि म0प्र0 सरकार के ऑनलाइन पोर्टल mptender.gov.in पर निधार्रित समयावधि में उपलब्ध है। निविदा प्रस्तुत करने के नियम निर्देश एवं शर्ते महाविद्यालय की वेवसाइट http://www.klsgaci.edu.in पर भी प्रदर्शित होकर उपलब्ध है ।

निविदा के संबन्ध में निधार्रित समय सारणी निम्नानुसार है :–

कार्य विवरण	दिनांक एवं समय
ऑनलाइन निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने का समय	17.07.2026
प्री–बिड मीटिंग	20.07.2026 दोपहर 02.00 वजे से 03.00 वजे तक स्थानः–संस्थान सभाकक्ष
ऑनलाइन तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	30.07.2026 दोपहर 02.00 बजे तक
ऑनलाइन तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	31.07.2026 दोपहर 02.00 बजे से
ऑनलाइन वित्तीय निविदा खोलने की तिथि एवं समय	तकनीकी निविदा की कार्यवाही उपरांत वित्तीय निविदा प्रस्ताव खोलने के संबन्ध में पृथक से mptender.gov.in द्वारा आनलाइन ई–मेल के माध्यम से सूचित किया जावेगा ।
निविदा प्रपत्र शुल्क	राशि रुपये 5000.00 पोर्टल https://mptenders.gov.in की शर्तो अनुसार पोर्टल मे दर्शित प्रोसेसिंग फीस को निविदाकार द्वारा ई–पेमेन्ट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाना है
निविदा प्रतिभूति (EMD) राशि	राशि रुपये :– 1,00,000.00 (रुपये एक लाख मात्र) https://mptenders.gov.in पोर्टल पर ई–पेमेन्ट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाना है

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
Web: www.klsgaci.edu.in E.mail: principal@klsgaci.nic.in दूरभाष क्रं. 0755–2970310

चिकित्सालय में भर्ती (अंतरंग) रोगियों की भोजन व्यवस्था म०प्र० शासन द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने हेतु किराये पर कैंटीन संचालन की द्वितीय ई–निविदा वर्ष 2026

(ई–निविदा की नियम एवं शर्ते)

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल के 150 विस्तरीय चिकित्सालय में भर्ती (अंतरंग) रोगियों की भोजन व्यवस्था म०प्र० शासन द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने हेतु किराये पर कैंटीन संचालन की ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। जो कि https://mptenders.gov.in/ पर निधार्रित समयावधि में उपलब्ध है । निविदा प्रस्तुत करने के नियम निर्देश एवं शर्ते महाविद्यालय की वेवसाइट http://www.klsgaci.edu.in पर भी प्रदर्शित होकर उपलब्ध है ।

1. ई–निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।
2. इच्छुक ई–निविदाकर्ता ऑनलाइन mptender.gov.in से ई–निविदा राशि रू. 5000/– (रूपये पांच हजार मात्र) का भुगतान कर ई–निविदा प्राप्त कर सकते है जिसको mptender.gov.in पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक आनलाइन सबमिट की जाना है ।
3. ई.एम.डी. राशि रूपये 1,00,000.00/–(रूपये एक लाख मात्र) है ,जिसे ई–पेमेन्ट के माध्यम से https://mptenders.gov.in/ पोर्टल पर निविदा प्रस्तुत करत समय जमा कर पावती निविदा अभिलेखों के साथ अपलोड करना होगाी जो कि सफल निविदाकार को अनुबंध होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी । शेष निविदाकारों की ई.एम.डी.राशि mptender.gov.in के माध्यम से निविदा कार्यवाही पूर्ण होने पर वापस लौटा दी जावेगी।
4. सफल निविदाकर्ता फर्म को कैन्टीन प्रतिमाह के निधार्रित किराये पर उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी। जिसका (कैंटीन) वर्तमान किराया 47877.00 प्रतिमाह है। निविदाकारों को वर्तमान किराये से कम किराया राशि वित्तीय निविदा में अंकित करने की अनुमति नहीं होगी। वर्तमान किराये से कम किराया राशि वाले निविदाकार की निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी। अग्रिम किराया प्रतिमाह की 07 तारीख तक महाविद्यालय के लेखा कक्ष में जमा कराना अनिवार्य होगा। किराया समय–सीमा में जमा न करने की स्थिति में 15 प्रतिशत अधिभार लिया जायेगा, एवं किराया राशि पर नियमानुसार जी.एस. टी. देय होगा।
5. निविदाकार फर्म के पास न्यूनतम 150 शैय्या युक्त शासकीय चिकित्सालय में भर्ती रोगियों की भोजन व्यवस्था के संचालन अथवा शासकीय छात्रावास में न्यूनतम 150 छात्रों की मेस संचालन का 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, जिसका अनुभव प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा अभिलेखों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
6. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2022–23 , 2023–24 एवं 2024–25 प्रत्येक वर्ष का पृथक–पृथक टर्न ओवर न्यूनतम 30.00–30.00 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रुप में वित्तीय वर्ष

Scanned with OKEN Scanner

2022–23 , 2023–24 एवं 2024–25 की आयकर विवरणी एवं चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।

7. निविदाकार फर्म के पास खाद्य एवं औषधि प्रशासन म०प्र० फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 के अनुसार निविदाकार फर्म का पंजीयन होना अनिवार्य है। तदानुसार पंजीयन की प्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
8. निविदाकार फर्म का जीवित गुमास्ता संबंधित कार्य का होना आवश्यक है। गुमास्ता की प्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
9. सफल निविदाकार को म०प्र० स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों अनुसार निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर किरायेदारी का अनुबंध एवं 03 माह की किराया राशि अग्रिम में जमा करनी होगी। प्राचार्य पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल से आदेश प्राप्त होने पर उल्लिखित तिथि से भोजन व्यवस्था प्रारंभ करनी होगी।
10. सफल निविदाकर्ता के साथ किया गया अनुबंध कार्य आदेश तिथि से (05) पाँच वर्ष के लिए होगी, जो कि प्रतिवर्ष कार्य संतोषजनक होने पर तत्समय प्रचलित किराये में 10 प्रतिशत किराया राशि की वृद्धि के साथ नवीनीकृत की जायेगी। कार्य संतोषजनक न होने व निविदा की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में समय से पूर्व भी अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
11. सफल निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन में कार्यरत कर्मचारियों का पूर्ण बायोडाटा संस्था में प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी कार्यरत कर्मचारी का बदलाव निविदाकार द्वारा किया जाता है तो उसकी तत्काल सूचना संस्था प्रमुख को लिखित में पूर्ण दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
12. भोजन व्यवस्था में लगाये गए कर्मचारियों से संबंधित नियमानुसार बीमा, दुर्घटना क्षति पूर्ति आदि की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
13. सफल निविदाकर्ता द्वारा .भोजन व्यवस्था से संबंधित सामग्री की गुणवत्ता/सेवा में कमी /निविदा शर्तों के उल्लंघन अथवा अन्य पर्याप्त कारणों से बिना कारण के अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रधानाचार्य पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल को होगा।
14. सफल निविदाकर्ता द्वारा वितरित किये जाने वाला भोजन संस्था द्वारा निर्धारित स्थल (कैंटीन) पर ही तैयार कर म०प्र० शासन द्वारा निर्धारित डाइट चार्ट (प्रपत्र/04) अनुसार रोगियों को संस्था द्वारा निर्धारित समय पर बेड–टू–बेड उपलब्ध कराना होगा।
15. भोजन के लिए प्रयुक्त सामग्री मानक स्तर संलग्न सूची अनुसार (प्रतिष्ठित ब्रांण्ड/गुणवत्ता/आई.एस. आई.) की होना अनिवार्य है।
16. सब्जियाँ ताजी होना चाहिए जिसका निरीक्षण संस्था के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जायेगा। भोजन एवं नाश्ता प्रतिदिन ताजा तैयार कर प्रदाय करना होगा, बचे हुए नाश्ता/भोजन का उपयोग किसी भी परिस्थिति में आगामी दिवस में मान्य नहीं होगा।
17. रसोई गैस (वाणिज्यिक/कमर्शियल) चूल्हा भट्टी आदि की व्यवस्था एवं उनसे संबंधित सुरक्षा सफल निविदाकर्ता को स्वयं करनी होगी। (लकड़ी, चूल्हा एवं हीटर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगे) भोजन निर्माण से लेकर रोगियों को भोजन परोसने की समस्त व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं करनी होगी।
18. रोगियों को प्रदाय किये जाने वाले भोजन, दूध एवं नाश्ते की मात्रा म०प्र० शासन द्वारा निर्धारित डाइट चार्ट (प्रपत्र/03) अनुसार होगी, जिसकी राशि का भुगतान म०प्र० शासन द्वारा निर्धारित दर पर बजट आवंटन होने पर महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा। जो कि वर्तमान में 48.00 रु प्रति रोगी प्रति दिन

Scanned with OKEN Scanner

के मान से निर्धारित है। दरों में म०प्र० शासन आयुष विभाग द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले संशोधनों को दोनों पक्षों को मान्य करना होगा।

19. निविदाकर्ता को किराये की राशि केवल ई–वित्तीय निविदा की एक्सेल शीट में शब्दों एवं अंकों में अंकित करना है। शब्दों एवं अंकों की राशि में अंतर की स्थिति में शब्दों में अंकित राशि को मान्य किया जायेगा।
20. भोजन की गुणवत्ता/ मेनू अनुसार भोजन प्रदाय न करना, बासी भोजन का उपयोग करना या अन्य किसी कारण से यदि संस्था से कोई चेतावनी पत्र जारी होता है, तो वह अंतिम होगा जिसके निराकरण की सीमा 03 दिवस होगी। व्यवस्था हेतु कुछ दिन उपलब्ध पुनः वही स्थिति निर्मित होने पर कार्य सूचना के अनुबंध निरस्त किया जायेगा, तथा सम्पूर्ण धरोहर राशि राजसात कर ली जायेगी, साथ ही निविदाकर्ता फर्म का नाम काली सूची में अंकित कर भविष्य में निविदा में भाग लेने से वंचित किया जायेगा।
21. डिफाल्टर फर्म (तात्पर्य वह फर्म जिसे अनुबंध अवधि के पूर्व शर्तों के उल्लंघन के कारण अनुबंध समाप्त किया गया हो) आगामी निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगी।
22. सफल निविदाकर्ता को लाईट, कूलर, पंखे, ग्राइंडर, एवं फ्रिज चलाने हेतु बिजली प्रदाय की जायेगी, जिसका शुल्क सब मीटर की रीडिंग के आधार पर संस्था द्वारा निर्धारित किया जायेगा। उसका भुगतान निविदाकर्ता फर्म द्वारा प्रतिमाह लेखा कक्ष संस्था में जमा करना होगा।
23. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के राजस्व एवं टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा जारी जी.एस.टी. संबंधित दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
24. संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
25. प्रधानाचार्य एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल विशेष परिस्थिति में अनुबंधित अवधि वर्ष से पूर्व भी 01 माह पूर्व नोटिस कैंटीन खाली कराना चाहे तो बिना विवाद किये कैंटीन खाली कर आधिपत्य सौंपना होगा।
26. कैंटीन प्रधानाचार्य एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल की परिसंपत्ति होगी। मात्र अनुबंध अनुसार उपयोग करने का अधिकार होगा।
27. कैंटीन हेतु किये जाने वाले अनुबंध, पंजीयन, स्टाम्प आदि व्यय का वहन स्वयं सफल निविदाकार द्वारा किया जायेगा।
28. निविदाकर्ता को प्राप्त होने वाली आय पर टैक्स, सरचार्ज, सेवाकर आदि का भुगतान स्वयं करना होगा।
29. निविदाकार फर्म किसी शासकीय/अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस हेतु शपथ पत्र राशि रु. 100.00 (एक सौ मात्र)के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटराइज्ड कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
30. प्रपत्र–04 अनुसार शपथ पत्र को तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

31. अनुबंध अवधि में कैंटीन में होने वाली टूट–फूट की मरम्मत, रंग–रोगन का कार्य किरायेदार फर्म को कराना होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में कैंटीन की मूल अधोसंरचना में निविदाकार परिवर्तन नहीं कर सकेगा।
32. ई–तकनीकी निविदा में अपलोड समस्त दस्तावेजों की स्वः हस्ताक्षरित प्रति तकनीकी निविदा खोले जाने की दिनांक को निर्धारित समय एवं स्थान पर प्रस्तुत करने होंगे।
33. संलग्न चेक लिस्ट अनुसार दस्तावेजों को तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक है। चेक लिस्ट में अंकित अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा का परीक्षण किया जायेगा। इन्हीं अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा मान्य/अमान्य की जायेगी। इनके अतिरिक्त किसी अन्य अभिलेखों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जायेगा। भुगतान हेतु देयको का विधिवत प्रस्तुतीकरण वास्तविक रुप से भर्ती रोगियों की संख्या के आधार पर होगा । देयक का सत्यापन चिकित्सालय अधीक्षक द्वारा किये जाने के उपरांत ही वास्तविक रोगी संख्या के आधार पर देयक राशि का भुगतान लेखा कक्ष द्वारा किया जावेगा ।
34. संस्थान चिकित्सालय में वर्तमान में 150 विस्तरीय अंतरंग रोगियों की भर्ती सुविधा है। निविदा/अनुबंध अवधि में अंतरंग रोगियों की बेड संख्या में संशोधनों को दोनों पक्षों को मान्य करना होगा।
35. तकनीकी निविदा के परीक्षण से सफल निविदाकारों की ही वित्तीय निविदायें खोली जायेगी। वित्तीय निविदा अनुसार अधिकतम किराया ऑफर करने वाले निविदाकार को कैंटीन का आवंटन निर्धारित शर्तों के अधीन किया जायेगा।
36. किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर तथा नियम शर्तों का पालन न करने पर अथवा संतोषजनक सेवा न दिये जाने पर अनुबंध तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा। सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। ऐसी स्थिति में जमा निष्पादन प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जायेगी तथा संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही किराये पर कैन्टीन का आवंटन एच–02 फर्म को एच–01 फर्म द्वारा ऑफर की गई किराया राशि पर अनुबंध किया जायेगा।
37. किसी भी प्रकार के विवाद हेतु न्याय क्षेत्र भोपाल म.प्र. होगा।

प्राचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद
महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

चिकित्सालय में भर्ती (अंतरंग) रोगियों की भोजन व्यवस्था म०प्र० शासन द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने हेतु किराये पर कैंटीन संचालन की ई–निविदा वर्ष 2026

(तकनीकी ई–निविदा प्रपत्र 01)

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम————————————————————————————
2. फर्म के मालिक का नाम——————————————— पिता का नाम—————————
3. वर्तमान निवास का पता——————————————————————————————
4. दूरभाष/मोबाईल नम्बर——————————————————————————————
5. GSTIN NO.———————————————————————————————————
6. जीवित गुमास्ता नं...दिनांक ....
7. पैन कार्ड न...
8. ई.एम.डी.राशि ई–प्रिंटेड प्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना होगा।
9. निविदाकार फर्म के पास न्यूनतम 150 शैय्या युक्त शासकीय चिकित्सालय में भर्ती रोगियों की भोजन व्यवस्था के संचालन अथवा शासकीय छात्रावास में न्यूनतम 150 छात्रों की मेस संचालन का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है जिसका अनुभव प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा अभिलेखों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
10. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2022–23 , 2023–24 एवं 2024–25 प्रत्येक वर्ष का पृथक– पृथक टर्न ओवर न्यूनतम 30.00–30.00 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रुप में वित्तीय वर्ष 2022–23 , 2023–24 एवं 2024–25 की आयकर विवरणी एवं चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।
11. निविदाकार फर्म के पास खाद्य एवं औषधि प्रशासन म०प्र० फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 के अनुसार पंजीयन होना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
12. निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही होना चाहिऐ इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 (एक सौ मात्र)के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा
13. प्रपत्र 03 अनुसार शपथ पत्र ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
निविदाकर्ता का नाम————————————
फर्म की मुहर

Scanned with OKEN Scanner

चिकित्सालय में भर्ती (अंतरंग) रोगियों की भोजन व्यवस्था म०प्र० शासन द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने हेतु किराये पर कैंटीन संचालन की ई–निविदा

ई–वित्तीय निविदा प्रपत्र –02

	प्रतिशत	
विवरण	अंकों में	शब्दों में
कैन्टीन का किराया राशि रुपयों मे प्रतिमाह		

नोट– उक्त प्रपत्र प्रारुप मात्र है इस प्रपत्र के अनुसार किराया राशि को ई–वित्तीय निविदा ऑनलाइन www.mptender.gov.in परएक्सल शीट BBQ मे ही दर्ज करना है।

Scanned with OKEN Scanner

चिकित्सालय में भर्ती (अंतरंग) रोगियों की भोजन व्यवस्था म०प्र० शासन द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने हेतु किराये पर कैंटीन संचालन की ई–निविदा वर्ष 2026

प्रपत्र –03

//शपथ –पत्र //

मै..पिता श्री..

निवासी ....

उम्र........ शपथ पूर्वक कथन कथन करता हूॅ कि उपरोक्त चिकित्सालय में भर्ती (अंतरंग) रोगियों की भोजन व्यवस्था प्रपत्र 04 मे उल्लेखित मीनू एवं मात्रा अनुसार म०प्र० शासन द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने हेतु किराये पर कैंटीन संचालन की ई–निविदा में दी गई समस्त शर्तो का पूर्ण होश–हवास में अध्ययन कर लिया है जिसकी समस्त शर्ते मुझे मान्य है ।

मै शपथ पूर्वक निम्नानुसार घोषणा करता हूॅ ।

01. मै .... फर्म का नाम ....का विधिक प्रोपराइटर हूॅ।
02. मेरी फर्म को देश एवं प्रदेश के किसी केन्द्र एवं राज्य सरकार के शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है ।
03. फर्म के प्रोपराइटर एवं फर्म के विरुद्व देश एवं प्रदेश के किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण पंजीकृत नही है ।
04. फर्म के प्रोपराइटर एवं फर्म के विरुद्व लोकायुक्त/ ई.ओ.डब्लू./साइबर सेल/ आयकर/जी.एस.टी. विभाग में किसी भी प्रकार का प्रकरण पंजीकृत नही हुआ है ।
05. फर्म के प्रोपराइटर एवं फर्म के विरुद्व देश एवं प्रदेश के किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का आपराधिक एवं शासकीय कार्य से संबधित व्यवहारिक प्रकरण विचाराधीन नही है ।
06. फर्म के प्रोपराइटर ....को देश एवं प्रदेश के किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नही ठहराया गया है ।

उपरोक्तानुसार घोषणा मेरे द्वारा पूर्ण होश हवास मे की जा रही है। किसी प्रकार की प्रतिकूल जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान प्रबंधन मेरी निविदा /अनुबंध निरस्त कर मेरे उपर वैधानिक कार्यवाही करते है तो मुझे को आपत्ति नही होगी ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
निविदाकर्ता का नाम————————————
मोबाइल नं0

नोट :– उक्त शपथ पत्र राशि रु 500.00 पांच सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

चिकित्सालय में भर्ती (अंतरंग) रोगियों की भोजन व्यवस्था म०प्र० शासन द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने हेतु किराये पर कैंटीन संचालन की ई–निविदा वर्ष 2026

चैक–लिस्ट

क्रं.	दस्तावेजों के नाम	संलग्न हां / नहीं पेज नम्वर
1	गुमास्ता की छायाप्रति	
2	GSTIN.पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति	
3	निविदाकार फर्म के पास न्यूनतम 150 शैय्या युक्त शासकीय चिकित्सालय में भर्ती रोगियों की भोजन व्यवस्था के संचालन अथवा शासकीय छात्रावास में न्यूनतम 150 छात्रों की मेस संचालन का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है जिसका अनुभव प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा अभिलेखों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा ।	
4	निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2022–23 , 2023–24 एवं 2024–25 प्रत्येक वर्ष का पृथक– पृथक टर्न ओवर न्यूनतम 30.00–30.00 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रुप में वित्तीय वर्ष 2022–23 , 2023–24 एवं 2024–25 की आयकर विवरणी एवं चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।	
5	निविदाकार फर्म के पास खाद्य एवं औषधि प्रशासन म०प्र० फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 के अनुसार पंजीयन होना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।	
6	ई.एम.डी.राशि की ई–प्रिटेड प्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है।	
7	ब्लैक लिस्ट न होने का घोषणा पत्र / शपथ पत्र राशि रु 100.00 के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है।	
8	प्रपत्र–3 अनुसार शपथ पत्र राशि रु 500.00 के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटरी कराकर तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है।	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर................................

निविदाकर्ता का नाम....................................

फर्म का नाम ....

पता...

मोबाइल नं...

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र - 4

नि.क्र./स्वा./ 1996
दि. 01/12/17

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

1854
प.क्र. ____ /नि.स्वा./संचा. (अ.प.)
आवक दिनांक 4.12.17
जावक दिनांक ____

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 28/11/2017

क्रमांक एफ 12–15/2011/17/मेडि–3 :: राज्य शासन एतद द्वारा इस विभाग के अधीन शासकीय चिकित्सालयों /स्वास्थ्य केन्द्रों के आंतरिक रोगियों के लिये निर्धारित भोजन पर होने वाले व्यय के संबंध में विभागीय समसंख्यक आदेश (अधिसूचना) दिनांक 28.10.2014 में निम्न तालिका अनुसार संशोधन निर्धारित किया जाता है :–

डाईट चार्ट–सोमवार/गुरूवार

समय	सामग्री	अनुमानित मात्रा	कीमत(रूपये में)
नाश्ता 9:00 से 9:30	दूध, पोहा अथवा उपमा अथवा ब्रेड	1 गिलास (250 एम.एल)	10
भोजन 1:30 से 2:00 बजे	सलाद	1 कटोरी (50 ग्राम)	2
	रोटी	3–4 नग (120 ग्राम)	5
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर,सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)	5
	दाल (अरहर/खड़ी मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)	5
	नमकीन दलिया	1 कटोरी (100 ग्राम)	3
संध्या 3:30 बजे से 4:30 बजे	चाय एवं बिस्किट	1 कप (125 एम.एल.) एवं 04 नग	3
रात्रि भोजन 8:00 बजे 8:30 बजे	रोटी	3–4 नग (120 ग्राम)	5
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर,सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)	5
	दाल (अरहर/खड़े मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)	5
		कुल·योग	48

डाईट चार्ट–मंगलवार/शुक्रवार/रविवार

समय	सामग्री	अनुमानित मात्रा	कीमत (रूपये में)
नाश्ता 9:00 से 9:30	दूध, टोस्ट रस्क अथवा दलिया	1गिलास (250एम.एल.)	10

Dir(HA) / Plan on our website pl.

JD(H.A)

4/12/17

भोजन 1:30 से 2:00 बजे	सलाद	1 कटोरी (50 ग्राम)	2
	रोटी	3–4 नग (120 ग्राम)	5
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)	5
	दाल (मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)	5
	चावल	1 कटोरी (150 ग्राम)	3
संध्या 3:30 बजे से 4:30 बजे	चाय एवं बिस्किट	1 कप (125 एम.एल.) एवं 04 नग	3
रात्रि भोजन 8:00 बजे 8:30 बजे	रोटी	4–5 नग (120 ग्राम)	5
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर,सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)	5
	दाल (अरहर/खड़े मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)	5
	कुल		48

डाईट चार्ट– बुधवार/शनिवार

समय	सामग्री	अनुमानित मात्रा	कीमत (रूपये में)
नाश्ता 9:00 से 9:30	दूध दलिया	1 गिलास (250एम.एल.)	10
भोजन 1:30 से 2:00 बजे	सलाद	1 कटोरी (50 ग्राम)	2
	रोटी	3–4 नग (120 ग्राम)	5
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)	5
	दाल (अरहर/खड़ी मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)	5
	नमकीन दलिया	1 कटोरी (100 ग्राम)	3
संध्या 3:30 बजे से 4:30 बजे	चाय एवं बिस्किट	1 कप (125 एम.एल.) एवं 04 नग	3
रात्रि भोजन 8:00 बजे 8:30 बजे	रोटी	3–4 नग (120 ग्राम)	5
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर,सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)	5
	दाल (अरहर/खड़े मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)	5
	कुल		48

भोजन 1:30 से 2:00 बजे	सलाद	1 कटोरी (50 ग्राम)	2
	रोटी	3–4 नग (120 ग्राम)	5
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)	5
	दाल (मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)	5
	चावल	1 कटोरी (150 ग्राम)	3
संध्या 3:30 बजे से 4:30 बजे	चाय एवं बिस्किट	1 कप (125 एम.एल.) एवं 04 नग	3
रात्रि भोजन 8:00 बजे 8:30 बजे	रोटी	4–5 नग (120 ग्राम)	5
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर,सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)	5
	दाल (अरहर/खड़े मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)	5
	कुल		48

डाईट चार्ट– बुधवार/शनिवार

समय	सामग्री	अनुमानित मात्रा	कीमत (रूपये में)
नाश्ता 9:00 से 9:30	दूध दलियां	1 गिलास (250एम.एल.)	10
भोजन 1:30 से 2:00 बजे	सलाद	1 कटोरी (50 ग्राम)	2
	रोटी	3–4 नग (120 ग्राम)	5
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)	5
	दाल (अरहर/खड़ी मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)	5
	नमकीन दलिया	1 कटोरी (100 ग्राम)	3
संध्या 3:30 बजे से 4:30 बजे	चाय एवं बिस्किट	1 कप (125 एम.एल.) एवं 04 नग	3
रात्रि भोजन 8:00 बजे 8:30 बजे	रोटी	3–4 नग (120 ग्राम)	5
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर,सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)	5
	दाल (अरहर/खड़े मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)	5
	कुल		48

Scanned with OKEN Scanner

आंतरिक रोगियों के लिए भोजन की दरों में की गई वृद्धि हेतु वित्त विभाग के यूओ क्रमांक /आर.एन./493/17/वित्त/4 दिनांक 18/05/2017 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में ...ी किया जाता है। आंतरिक रोगियां की संख्या के हिसाब से बजट प्रावधान में उपलब्ध कुल राशि ...ण संवितरण अधिकारी द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी ...भी जहाँ से जननी सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध राशि मिलाकर प्रत्येक भर्ती रोगियों के लिए ...न पर व्यय किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 28/11/2017

क्रमांक एफ–12–15/2011/17/मेडि–3
प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Scanned with OKEN Scanner